परिशिष्ट

देखिये नियम - 6

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा - 6 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग- 1

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए

परियोजना विवरण-

1	आपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना स्कीम का सक्षिप्त विवरण	हरिद्वार वन प्रभाग के श्यामपुर, चिडियापुर, हरिद्वार राजि0 के अन्तर्गत गंगा व सहायक नदियो में निरन्तर वर्षा व बाढ से प्रतिवर्ष उपखनिज जमा रेज बजरी बोल्डर हो जाता है नदी के बहाव को नियंत्रित करने हेतु जमा उपखनिजो चुगान आवश्यक है ।
2	1.5 लाख स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस पास के वनो की सीमाओ को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है
3	परियोजना की लागत	लागू नही है ।
4	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	उपखनिजो का नियत्रित चुगान कर नदी की धारा नियत्रित करना तथा समीपसस्थ वन व राजस्व क्षेत्र में भूमि कटाव रोकना
5	लागत लाभ विषलेशण संलग्न किये जाने के लिए	लगभग 26 लाख घ0मी0 चुगान करने पर 18 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है तथा लगभग 8000 लोगो को नया रोजगार सृजित होगा
6	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना	लगभग 8000 श्रमिको व अन्य को रोजगार प्राप्त होगा
7	वन	गंगा एवं सहायक नदियो की तलहटी में उपखनिजो का चुगान वन क्षेत्र व कृषि भूमि को कटाव से बचाया जाना
8	परियोजना के कारण लोगो को हटाने का विवरण यदि कोई है	नही-
9	परिवारो की संख्या	रिक्त
10	अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारो की संख्या	2502
11	पुर्नवास योजना संलग्न किये जाने के लिए	रिक्त
12	वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है	हॉ

13	क्षतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके	उपखनिजो का चुगान करते समय क्षतिपूरक रिवर ट्रेनिंग कार्य के लिए धनराशि वसूल की जायेगी कुल 1380 है0 क्षेत्र में अगले वर्षो में क्षतिपूरक वनीकरण किया जायेगा रिवर ट्रेनिगं के लिए प्राप्त अतिरिक्त रायल्टी धनराशि में वसूल कर वन विभाग द्वारा रिवर ट्रेनिगं कार्य पूर्ववत किया जायेगा इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा खनन मजदूरो हेतु जलौनी लकडी की आपूर्ति भी की जायेगी। वचनबद्धता वन विभाग द्वारा संलग्न की जायेगी
14	निर्देशो के अनुसार संलग्न / अपेक्षित प्रमाण पत्र पत्रों दस्तावेजो का ब्योरा	संलग्न है ।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक
उत्तरांखण्ड वन विकास निगम
हरिद्वार

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....
प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

भाग - स

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।

प्रस्ताव की संख्या क्रम संख्या 1/खनन/गंगा एवं सहायक नदियां/2011

7	परियोजना /स्कीम का स्थान	जनपद -हरिद्वार में हरिद्वार वन प्रभाग के श्यामपुर, चिडियापुर, एवं हरिद्वार राजि के अर्न्तगत गंगा एवं सहायक नदियां
I	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
II	जिला	हरिद्वार
III	वन प्रभाग	हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार
IV	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रतावित वन भूमि वन क्षेत्रफल है0	1380.03 है0
V	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन
VI	हरियाली का घनत्व	शून्य
VII	प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षो की परिगणना संलग्न की जाये सिचांई /जालीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0,एफ0 आर0 एल0-2 मी0की एफ0आर0ए0, 8/10 मी0 पर परिगणना भी संलग्न की जाये	प्रस्तावित वास्तविक खनन क्षेत्र वृक्षविहिन हैं।
VIII	भूक्षरण के लिए क्षेत्र की संवेदनशीलता	वर्षाकाल में नदी तल में उपखनिज का अधिक मात्रा में एकत्र होने से नदी के बीच का भाग ऊँचा होने के कारण समीपवर्ती क्षेत्र में भू कटाव की रोकथाम के लिए नदी से उपखनिज का चुगान किया जाना उचित होगा ।
IX	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नदी तट से वन सीमाएं है ।
X	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारिडोर आदि का भाग है।(यदि हॉ तो क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाये) बाघ रिजर्व हाथी कारीडोर आदि का भाग है यदि हॉ तो ब्यौरा और प्रमुख अन्य जीव वार्डन की अनुमति ली जाये	शिवालिक एलिफैन्ट रिर्जव के अन्तर्गत घोषित है
XI	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति	नही

	की दुर्लभ प्रजातियां पायी जाती है यदि हॉ/तो उसका ब्यौरा भी दे ।	
XII	क्या कोई सुरक्षित पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान औद्योगिक अन्य महत्वपूर्ण स्मारक स्थित है यदि हॉ तो ततसम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो।	नही
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग -1,काल 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही तो जांचे गये विकल्पो का ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।	अपरिहार्य एवं न्यूनतम् है
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है /नही यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियो पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दे तथा उल्लघंन सम्बन्धित कार्य अभी भी चल रहे है ।	नही
	क्षतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा	
क	क्षति पूरक वनीकरण का ब्यौरा- क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित प्रयुक्त क्षेत्र /आवटित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी भूखण्डो की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	संलग्न है ।
17	क्षति पूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित आवंटित क्षेत्र / आकस्मिक वन क्षेत्र आस पास की वन सीमाओ को दृ-र्गाता मैप	संलग्न है
18	रोपित की जानी वाली प्रजातियां सहित क्षति पूरक वनीकरण स्कीम का विवरण	संलग्न है
19	क्षतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपलब्धता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टि से सक्षम प्राधिकरण के प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया	संलग्न है

	जाये)	
20	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (XI,XII) 8, 9 में पूछे गये विवरण को दर्शाते हुए	संलग्न है
21	प्रभाग	हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	जिला हरिद्वार 2360 वर्ग कि0मी0
II	जिले का वन क्षेत्र	330 वर्ग कि0मी0
III	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्रफल	214 मामले 2789.522 है0
IV	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल क्षतिपूरक वनीकरण	5579.044 है0
क	खण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	11000है0
ख	वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
V	वर्तमान तक क्षतिपूरक में हुई प्रगति	
क	वन भूमि पर	5579.044 है0
ख	वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा स्वीकृति लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिस	प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

दिनांकः 26-3-2012
स्थानः हरिद्वार

प्रभागीय वनाधिकारी
हरिद्वार वन प्रभाग हरिद्वार

भाग तृतीय

सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

1	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है हॉ /नही यदि निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न किया जाये ।	नही
2	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा वन भूमि में दी गयी सूचना और उपवन संरक्षक के सुझाव से सहमत है ।	सहमत
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणो के साथ विशेष सिफारिश	राज्य के राजस्व/जनहित के दृष्टिगत उपयोगी है।

दिनांक: 06.07.2.12

स्थान: देहरादून ।

(सन्तोष विजय शर्मा)

हस्ताक्षर

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड

नाम और पद नाम

देहरादून

भाग– IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17– टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	**जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत 1380.03 है0 आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित गंगा एवं सहायक नदियों से उपखनिज चुगान के नवीनीकरण प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।**

तिथि : 8/12/2012

स्थान : देहरादून

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम (एस० रामास्वामी)
प्रमुख सचिव,

सरकारी मोहर

भाग– V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17– राज्य सरकार की सिफारिश–

(उपर्युक्त भाग– II या भाग– II या भाग –IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत 1380.03 है0 आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित गंगा एवं सहायक नदियों से उपखनिज चुगान के नवीनीकरण प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

तिथि : 8/12/2012

स्थान : देहरादून

हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम (एस० रामास्वामी)

सरकारी मोहर